संख्या-7/2022/491/94-स्टा0नि0-2-2022-700(01)/2015

प्रेषक

अजय कुमार अवस्थी,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में

1- आयुक्त स्टाम्प/महानिरीक्षक निबंधन,
उ0प्र, प्रयागराज/लखनऊ।
2- समस्त मण्डलायुक्त,
उ0प्र0 ।
3- समस्त जिला मजिस्ट्रेट,
उ0प्र0 ।

स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-2 लखनऊ, दिनांक 31 मई, 2022

विषय- स्टाम्प कमी के वादों की समाधान योजना के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत हैं कि शासनादेश संख्या-12/2021/1302/94-स्टा0नि0-2-2021-700(01)/2015 दिनांक 24-12-2021 द्वारा स्टाम्पवादों के त्वरित निस्तारण, उनमें निहित स्टाम्प कमी की धनराशि शीघ्रतिशीघ्र प्राप्त करने एवं जनसामान्य को अधिकाधिक सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से शासन द्वारा दिनांक 31-03-2022 की अवधि तक स्टाम्प कमी के वादों की समाधान योजना लागू की गयी थी।

उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त सुझावों के अनुरूप शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त शासनादेश दिनांक 24-12-2021 में निहित शर्तों के अधीन उक्त योजना की अवधि को दिनांक 31-07-2022 तक विस्तारित किया जाता है।

भवदीय,

अजय कुमार अवस्थी
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- अध्यक्ष, राजस्व परिषद्, उ0प्र0 को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया समस्त सी0सी0आर0ए0 को भी उपरोक्त से अवगत कराने का कष्ट करें।
2- समस्त उपायुक्त स्टाम्प, उ0प्र0।
3- समस्त अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), उ0प्र0।
4- समस्त सहायक आयुक्त स्टाम्प, उ0प्र0।

आज्ञा से,

अशोक कुमार पाण्डेय
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in